-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.03.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2017 में नाबालिग से छेड़छाड़ व मौके पर पहुंची पुलिस टीम से मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दी गई 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2017 में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले 02 अभियुक्तों को 04 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना जसपुरा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में दिनांक 08.06.2017 की रात्रि साइकिल से अपने घर की ओर जा रही एक नाबालिग लड़की से 02 अभियुक्तों 1.अभिषेक सिंह पुत्र अरविन्द सिंह नि0 ब्रह्मनगर थाना औरैया जनपद औरैया व 2. राहुल सिंह पुत्र वीरपाल सिंह नि0 नई कॉलोनी करेरा थाना करेरा जनपद शिवपुरी म0प्र0, द्वारा छेड़खानी की गई तथा उसे अपने चार पहिया वाहन पर बैठाने का प्रयास किया गया। लड़की द्वारा इसकी शिकायत डायल-112 पर की गई। मौके पर पहुंचे डायल-112 के कर्मियों से अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौज व मारपीट की गई। इस संबंध में पीड़िता की तहरीर पर थाना जसपुरा पर मु0अ0सं0 92/17 धारा 354/332/353 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री विनोद कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों को दिनांक 09.06.2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 28.06.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री रामसुफल सिंह द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी रुबी देवी व पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार आरक्षी वीरप्रताप सिंह के अथक प्रयासों से दोनों अभियुक्तों को मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. अभिषेक सिंह पुत्र अरविन्द सिंह नि0 ब्रह्मनगर थाना औरैया जनपद औरैया
2. राहुल सिंह पुत्र वीरपाल सिंह नि0 नई कॉलोनी करेरा थाना करेरा जनपद शिवपुरी म0प्र0

अभियोग-

- मु0अ0सं0 92/17 धारा 354/332/353 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।